



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092024-257601
CG-DL-E-30092024-257601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3910]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946

No. 3910]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सं. 18/2024-केंद्रीय कर

का.आ. 4268(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 171 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 109 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के साथ पठित, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन गठित, अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ को, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिये गये इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कटौती वास्तविक रूप से उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदाय की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में समरूप कटौती में परिणत हुई है, की जांच करने के लिए सशक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/25/2024-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2024

No. 18/2024 – Central Tax

S.O. 4268(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 171 read with sub-section (1) and second proviso to sub-section (5) of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby empowers the Principal Bench of the Appellate Tribunal, constituted under sub-section (3) of section 109 of the said Act, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by that registered person.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2024.

[F. No. CBIC-20016/25/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सं. 19/2024-केंद्रीय कर

का.आ.4269(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 171 की उपधारा (2)के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर, 1 अप्रैल, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त धारा में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बारे में जांच के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कटौती वास्तविक रूप से उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदाय की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में समरूप कटौती में परिणत हुई है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/25/2024-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2024

No. 19/2024 – Central Tax

S.O. 4269(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (2) of section 171 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby appoints the 1st day of April, 2025 as the date from which the Authority referred to in the said section shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by that registered person.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. CBIC-20016/25/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director